प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.02.2023

थाना बागपत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित परवीन उर्फ बब्बू के ग्राम ढिकौली में स्थित मकान कीमत लगभग 22.16 लाख रूपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 22.02.2023 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त परवीन उर्फ बब्बू पुत्र सतवीर निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत की ग्राम ढिकौली में स्थित रिहायसी भूमि 291.42 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 22.16 लाख रूपये को कुर्क किया गया है तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अभियुक्त परवीन उर्फ बब्बू शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग दर्ज है।

अभियुक्त परवीन उर्फ बब्बू उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	215/97	147,148,149,302,307 भादवि	जानी	मेरठ
2.	0081/2000	147,148,149,302,307,429,120बी भादवि	चांदीनगर	बागपत
3.	0084/2000	384,504,506 भादवि	चांदीनगर	बागपत
4.	0088/2000	307 भादवि	चांदीनगर	बागपत
5.	0087/2000	25 आयुद्ध अधि	चांदीनगर	बागपत
6.	0152/2000	302,120बी भादवि	चांदीनगर	बागपत
7.	109/2000	2/3 गैंगस्टर एक्ट	चांदीनगर	बागपत
8.	0173/13	60 आबकारी अधिनियम	चांदीनगर	बागपत
9.	033/15	110जी सीआरपीसी	चांदीनगर	बागपत
10.	0158/15	60/72 आबकारी अधिनियम	चांदीनगर	बागपत
11.	0313/16	110 जी सीआरपीसी	चांदीनगर	बागपत
12.	0075/17	3(1) यू.पी. गुण्डा एक्ट	चांदीनगर	बागपत
13.	112/19	323,342,504,506 भादवि	बागपत	बागपत
14.	0041/22	420,467,468,471,120बी भादवि व 63 आबकारी अधिनियम	सिंघावली अहीर	बागपत
15.	209/22	2/3 गैंगस्टर अधिनियम	सिंघावली अहीर	बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 22.02.2023

गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी आदिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त आदिल पुत्र मुस्तफा निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरूद्ध थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 570/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.02.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0-03 विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आदिल को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

आदिल पुत्र मुस्तफा निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

अभियुक्त आदिल का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 126/2006 धारा 457/380 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

2- मु0अ0सं0 160/2006 धारा 457/380/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

3- मु0अ0सं0 161/2006 धारा 25 ए एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत।

4- मु0अ0सं0 127/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत।

5- मु0अ0सं0 31/11 धारा 457/380/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

6- मु0अ0सं0 48/11 धारा 457/380/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

7- मु0अ0सं0 151/11 धारा 380/506 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनांक 22.02.2023

गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी नीरज उर्फ लीला व प्रमोद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त नीरज उर्फ लीला पुत्र प्रीतम निवासी मौ0 रामनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत तथा प्रमोद पुत्र लक्ष्मण निवासी शिवबिहार कालौनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के विरूद्व थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 137/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.02.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0-03 विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नीरज उर्फ लीला व प्रमोद को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में प्रत्येक को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्व अपराधियों का नाम व पता-

1-नीरज उर्फ लीला पुत्र प्रीतम निवासी मौ0 रामनगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

2-प्रमोद पुत्र लक्ष्मण निवासी मौ0 शिवबिहार कालौनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

अभियुक्त नीरज उर्फ लीला का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 50/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 51/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 137/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

अभियुक्त प्रमोद का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 50/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 51/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 137/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-

बबलू पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम धनौरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री मनोज कुमार गौतम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 173 रिंकू कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 166/2023 धारा 308/452/323/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.इलियास पुत्र सरफुद्दीन व 2.शाहरूख निवासी मौ0 माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के पति दिलशाद के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की जिससे वादिया का पति दिलशाद गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 166/2023 धारा 452/323/504/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 166/2023 धारा 308/452/323/504 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 21-02-2023 को एक अभियुक्त इलियास को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहरूख पुत्र अली मौहम्मद निवासी मौहल्ला देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2- है0का0 508 मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3- का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनाँक 22-02-2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 152/23 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता सकुशल किया बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 152/23 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत।
2-का0 919 गजेन्द्र सिंह थाना बडौत।
3-म0का0 821 मनीषा शर्मा थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक 22.02.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 44/23 धारा 147/148/323/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 डण्डे बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 22.02.23 को थाना छपरौली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम ककौर खुर्द में शादी के प्रोगाम में नाच गाने के दौरान 02 पक्ष आपस में लाठी-डण्डों से मारपीट कर रहे है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर मारपीट करने वाले 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 44/23 धारा 147/148/323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 44/23 धारा 147/148/323/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 डण्डे बरामद हुए है

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1-प्रवीण पुत्र जगदीश निवासी ग्राम ककौर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-सोनू पुत्र अरविन्द्र निवासी ग्राम ककौर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-प्रियांशु पुत्र मनोज निवासी ग्राम ककौर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-मैनपाल पुत्र बलवीर निवासी ग्राम ककौर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत।

5-मन्नू पुत्र बलवीर निवासी ग्राम ककौर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 04 डण्डे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशीष कुमार थाना छपरौली।
2. है0का0 351 पवन नांगर थाना छपरौली।
3. है0का0 353 नरेश थाना छपरौली।
4. हो0गा0 570 हरविन्द्र थाना छपरौली।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 22.02.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

आबाद पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना सिंघावली अहीर।

2. का0 1076 विकास यादव थाना सिंघावली अहीर।

3.का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर।